सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षो तक के लिये) का अनुदान दिया जाता है।

अशोक चक्र श्रंखला							
वर्ष	**अशोक चक्र**		**कीर्ति चक्र**		**शौर्य चक्र**		
	एक मुश्त	**वार्षिकी**	**एक मुश्त**	**वार्षिकी**	**एक मुश्त**	**वार्षिकी**	
१९७६ के पश्चात्	१००००	–	६०००	&	३५००	-	–
१९८६ के पश्चात्	२००००	२००	१२०००	१००	५०००	१००	
१९९९ के पश्चात्	४००००	४००	२५०००	३००	१००००	२००	
२००८ के पश्चात्	२५००००	१२००००	१५०००००	१०००००	१०००००	५००००	

1. प्राधिकार शासनादेश सं0.1976/तीन-5(1)/73– सा0प्र0अनु0 दिनांक 15 मई 1978 ।
2. प्राधिकार शासनादेश सं0.2487/तीन-5(9)/85–सा0प्र0अनु0 दिनांक 07 जुलाई 1987 ।
3. प्राधिकार शासनादेश सं0. वी0आई0पी0/तीन-98–.5(14)/197 दिनांक 06 मई 1999 ।
4. प्राधिकार शासनादेश सं0. 2028(1)/तीन-2008–5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008 ।

2. वीर चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षो तक के लिये) अनुदान एवं भूमि के स्थान पर नकद धनराशि दी जाती है।

ohj pdz J`a[kyk			
वर्ष-धनराशि	परमवीर चक एक मुश्त वार्षिकी	महावीर चक्र एक मुश्त वार्षिकी –	ohj pdz ,d eq'r okf"kZdh
१९६२ के पश्चात्	१०००० ५००	७५०० &	३००० &
१९७३ के पश्चात्	१०००० ५००	७५०० -	३००० &
१९७९ के पश्चात्	१५००० ५००	१०००० ३००	५००० २००
१९८६के पश्चात्	२२५०० १०००	१५००० ४००	७००० ३००
१९९२के पश्चात्	२००००० १०००	१२५००० ४००	५०००० ३००
२००८ds i'pkr~	२५०००० १५००००	१५००००० ११४०००	१००००० ६६०००
२०१६ के पश्चात्	३२५०००० १९५०००	१९५०००० १४८०००	१३०००० ८५८००

1. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–333(एस.बी./आई.ए.–224 एस.बी.)1962 दिनांक 26 मई 1964 और शासनादेश सं0:–745/आई.ए. दिनांक 17 सितम्बर 1968 के साथ पठित राजस्व(ख) विभाग का शासनादेश सं0–1814–आर.आई.बी.–62 एस.बी.–1962 दिनांकः 20 सितम्बर 1962
2. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–97/19(12)–72 रा0अनु0–2 दिनांक 09 अप्रैल 1973
3. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–2224/48–83–19(7)/1972 दिनांक 30 अगस्त 1983 ।
4. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–820/48/87–19(7)/72 टी0सी0 III दिनांक 11 मई 1987 ।
5. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–2162/48–92–19(7)/72 III दिनांक 07 नवम्बर 1992 ।
6. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–1009/48–2008–113(वि0)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008

3. विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षो तक के लिये) अनुदान दिया जाता है।

fof'k"V lsok esMy								
वर्ष-धनराशि	परम विशिष्ट सेवा मेडल एक मुश्त वार्षिकी		अति विशिष्ट सेवा मेडल एक मुश्त वार्षिकी		fof'k"V lsok esMy ,d eq'r okf"kZdh	
१९९२ के पश्चात्	१५०००	४००	७०००	३००	३०००	२००
२००८ के पश्चात्	११५०००	५४००	५७०००	४८००	२३०००	३०००
२०१६ के पश्चात्	१४९५००	७०२०	७४१००	६२४०	२९९००	३९००

१. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–47/48–92–19(7)/72 टीसी III दिनांक 18 सितम्बर 1992 प्राधिकार शासनादेश सं0 :–787/48–09–19(7)/72 111 दिनांक 29 सितम्बर 2009 एवं प्राधिकार शासनादेश सं0 157/48–2010–19(7)/72 III दिनांक 30 मार्च 2010।

4. बार–टू– सेना मेडल श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के वार–टू–सेना मेडल श्रृंखला प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार रू0 30,000/–तथा वार्षिकी अनुदान रू0 4800/– दिया जाता है।

ckj Vw lsuk esMy											
वर्ष	सेना मेडल एक मुश्त वार्षिकी		मेन्शन -इन-डिस्पैच एक मुश्त वार्षिकी		सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल एक मुश्त वार्षिकी		उत्तम युद्ध सेवा मेडल एक मुश्त वार्षिकी		युद्ध सेवा मेडल एक मुश्त वार्षिकी	
१९७३ के पश्चात्	२०००	–	१००० – –		&	&	& &		& &	
१९७९ के पश्चात्	२०००	–	१०००		&	&	& &		& &	

१९८६ के पश्चात्	३००० १००	२००० ५०	१७००० १५०	१०००० १००	४००० ५०
१९९२ के पश्चात्	३००० १००	२००० ५०	१२५००० १५०	७५००० १००	३५००० १००
२००८ के पश्चात्	३०००० ४८००	२५००० ३०००	१५०००० ६०००	१२५००० ५०००	४०००० ४०००
२०१६ के पश्चात्	३९००० ६२४०	३२५०० ३९००	१९५००० ७८००	१६२५०० ६५००	५२००० ५२००

1. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–333(एस.बी./आई.ए.–224 एस.बी.)1962 दिनांक 26 मई 1964 और शासनादेश सं0:–745/आई.ए. दिनांक 17 सितम्बर 1968 के साथ पठित राजस्व(ख) विभाग का शासनादेश सं0–1814–आर.आई.बी.–62 एस.बी.–1962 दिनांकः 20 सितम्बर 1962
2. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–97/19(12)–72 रा0अनु0–2 दिनांक 09 अप्रैल 1973
3. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–2224/48–83–19(7)/1972 दिनांक 30 अगस्त 1983 ।
4. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–820/48/87–19(7)/72 टी0सी0 III दिनांक 11 मई 1987 ।
5. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–2162/48–92–19(7)/72 III दिनांक 07 नवम्बर 1992 ।
6. प्राधिकार शासनादेश सं0 :–1009/48–2008–113(वि0)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008

1. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों / दिवंगत सैनिक की पत्नियों को अनुदान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को अनुदान दिया जाता है। 21 अक्टूबर 2013 से प्रतिमाह रु. 4000/– की गई है।

प्राधिकार शासनादेश सं0–803 (क)/148–2013–72 (विविध) 93 दिनांक 21 अक्टूबर 2013
अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत् है :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में कमी होने के कारण सैन्य विघटन (Demobilisation) अथवा युद्ध में भाग लेने के फलस्वरूप शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त कर दिये गये हों।
(ख) उ.प्र. के स्थाई निवासी हों।
(ग) किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त न कर रहे हों।

प्राधिकार–शासनादेश संख्या–2504/48–90–23–विविध/87 दिनांक 11 फरवरी 1991, संख्या–2350/48–93–72 (विविध)/93 दिनांक 30 नवम्बर, 1993, संख्या–778/48–200/72 (वि)/93 दिनांक 18 जून, 2001, संख्या–1029/49–2005–72 (वि)/93–93 दिनांक 22 जून, 2005 एवं संख्या–790/48–2008–72 (विविध)/93 दिनॉक 18 अगस्त, 2008

2. कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए विशेष योजना

कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता (केवल आपरेशन विजय के लिए) :–

(क) रु. 10.00 लाख प्रति पात्र शहीद की पत्नी/परिवार को एक मुश्त आर्थिक सहायता दी गई है।

(ख) कारगिल युद्ध में अपंग सैनिकों को जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत है को रु. 2,00,000/– प्रति पात्र तथा जिसकी अपंगता 50 प्रतिशत से कम है उनको रु. 1,00,000/– प्रति पात्र की दर से एक मुश्त आर्थिक सहायता दी गई है।

(ग) पेंशन प्रति माह रु. 7,500 प्रति शहीद की पत्नी तथा रु. 5,000 प्रति शहीद के माता/पिता को दी जाती है।

(घ) कारगिल शहीद की पत्नी तथा युद्ध अपंग सैनिकों को ग्रीन कार्ड दिये गये।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या – 1781/48–99–81 (विविध)/99टी.सी.–11 दिनांक 19 अगस्त, 1999 तथा 267/48–2013–81 (विविध) 99 टी0सी0 दिनांक 15 मार्च 2013 ।

3. प्री–कारगिल युद्व में शहीद सैनिकों की विधवाओं को अनुदान

1962–1965 तथा 1971 के युद्ध में शहीद हुये सैनिकों/अधिकारियों की विधवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्स ग्रेसिया (Ex. Gratia) अनुदान रूपया 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) की दर से एक मुश्त भुगतान किया जाता है ।

यह अनुदान सेना मुख्यालय से सत्यापन के आधार पर दिया जाता है। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, संबंधित तहसील से सत्यापन करवाते है, तहसील से सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात् जिला सैनिक कल्याण अधिकारी योग्य एवं सत्यापित वीर नारियों से स्वयं सम्पर्क करते है, तथा आवश्यक कार्यवाही पूरा करते हुए उनको चेक(ईपेमेंट) के माध्यम से अनुदान देते है। वर्ष 2014–15 मे 29 वीरनारियों को अनुदान दिया गया ।

8. वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता

उ.प्र. सरकार ने आपरेशन 'पवन' (श्रीलंका), आपरेशन 'मेघदूत' (सियाचिन) में शहीद हुए प्रदेश में रहने वाले सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं/परिवारों तथा अपंग हुए ऐसे सैनिकों को जो अपंगता के आधार पर सेवामुक्त हो गये है, क्रमशः रु. 15,000.00 तथा रु. 10,000.00 प्रति पात्र की दर से विशेष आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया है।आपरेशन पवन (श्रीलंका) प्राधिकार–शासनादेश सं0– 2290 / 48–88–11–2(23)/1987, दिनांक 07 अक्टूबर, 1988 तथा आपरेशन पवन मेघदूत (सियाचिन) शासनादेश सं0 –33/राज्यपाल/48–98–2(15) दिनांक 31 मार्च 1993

9. पूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिकताएं निम्नलिखित है :–

(क) ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, न्याय पंचायत में रहने वाले भूमिहीन अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ या उसके भूमिहीन माता–पिता ।

(ख) न्याय पंचायत में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया है।

(ग) न्याय पंचायत में रहने वाले कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में अधिकारी से भिन्न किसी सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हों ।

प्राधिकार : उत्तर प्रदेश भूमि–निधि (संशोधन) अधिनियम 1975 (उ.प्र. अधिनियम सं. 30. 1975) मूल अधिनियम की धारा 198 का संशोधन

10 पूर्व सैनिकों के लिए भूखण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन के आरक्षण

उ.प्र. सरकार ने सेवारत कार्मिकों, पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों तथा मकान के भूखण्ड (प्लाट) आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत है।

प्राधिकार शासनादेश संख्या :2905/37–2–91–94 एम.बी./91 दिनांक 25.11.199

11. सैनिकों द्वारा किराये पर दिये गये आवास को खाली कराने के लिए विशेष प्राविधान

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972, में कार्यरत या सेवा निवृत्त सैनिक अथवा ऐसे सैनिक की विधवा को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिए, किराये पर दिये गये भवन को खाली कराने के लिए, अधिनियम संख्या–17 सन् 1985 द्वारा मुख्य अधिनियम 1972 की धारा 2, 3, 4, 10 व 21 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। संबंधित सैनिक, पूर्व सैनिक उनकी विधवाएं, इस संशोधित अधिनियम का लाभ, अपना किराये पर दिया हुआ मकान खाली कराने के लिए, उठा सकते है।

12. मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों, में पूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित शैक्षिक सुविधायें प्राप्त हैं :

(क) पूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को बी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुग्रहांक दिये जाने का प्राविधान है।

(ख) राज्य के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बी.टी.सी.) के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण।

प्रशिक्षण संस्थाओं में विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी/शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सुरक्षा कर्मियों तथा उनके पुत्रों, सगे भाइयों, पुत्रियों, बहनों और पत्नी के लिए उ. प्र. के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में दो वर्षीय बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के लिये तीन प्रतिशत स्थान (सीटे) आरक्षित हैं। प्रवेश चाहने वाले अभ्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए./बी. काम/बी. एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो कार्मिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग से मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण हैं वे बी.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं हैं।

प्राधिकार :– शिक्षा निदेशक उ.प्र. (शिक्षा सामान्य–3) पत्र संख्या–सा (3)/9179/15–16(4)/83–84, दिनांक 21 मार्च, 1984

(ग) मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु कम्बाइन्ड प्री मेडिकल टेस्ट (सी.पी.एम.टी.) के लिए युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों को दो प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है।
प्राधिकार : शासनदेश संख्या–2473/सैक–14/पाँच–227/94 दिनांक 21 जून 95

(घ) राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु युद्व में मारे गये/अपंग हुए सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया है। ऐसे अभ्यार्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होना आवश्यक है।

प्राधिकार :– शासनादेश संख्या–1043/सोलह–1–2007–14(6)/2006 22 जून 2007

(ड़) प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों/इमरजेन्सी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रदान किया गया है।

प्राधिकार : शासनादेश सं. 162/36–6–92(टी)/77 दिनांक 31 जनवरी, 1978, तथा 1827/36–6–92/77 दिनांक 08 अगस्त, 1980(च) महाविद्यालयों /विश्वविद्यालय में बी0ए0, में प्रवेश हेतु आरक्षण प्राधिकार : शासनादेश सं. 1484/48/88–11–2(18)/1981 दिनांक 16 जुलाई 1988

13. शिक्षा सम्बन्धी रियायत–शिक्षण शुल्क से मुक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे निम्नलिखित सैनिकों के बच्चों तथा पत्नियों की मंहगाई भत्ता शुल्क सहित शिक्षा शुल्क से पूरी छूट प्रदान की है–

(क) ऐसे कार्मिकों को जो विकलांग हो गये हो, लापता घोषित हुये हो अथवा मृत मान लिये गये हों, प्रारम्भिक (प्राइमरी) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक।

(ख) ऐसे सेवारत सुरक्षा कार्मिक तथा अवर श्रेणियों (जूनियर कमीशन अधिकारी तथा अन्य रैंकों के अधिकारी) के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा पत्नियों को जिनकी परिलब्धियां/आय स्रोत प्रतिवर्ष 9000/– रुपये से अधिक न हो प्राइमरी हाई स्कूल स्तर तक।

नोट : रियायत पाने वाला बालक कक्षा में एक बार अनुतीर्ण हो जाने पर भी इसे प्राप्त करता रहेगा।

प्राधिकार : उत्तर प्रदेश संख्या–1292/15–ई एस.डब्लू, 36/63 दिनांक 12 फरवरी 65–3121/15–डब्लू 3663/, दिनांक 23 दिनांक 66 तथा संख्या–227/15(14) डब्लू/82, दिनांक 04 फरवरी 82.

14. 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गये अथवा विकलांग हुये सैनिकों के बच्चों को निम्नलिखित शिक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त रियायतें स्वीकृत की गयी है। ये रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्राइमरी कक्षा से लेकर डिग्री कक्षाओं तक अध्ययनरत बालकों को देय है :

(क) शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा सभी अन्य शुल्क दिये जाने से मुक्ति।

(ख) आवासीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में कुल छात्रावास शुल्क दिये जाने से मुक्ति।

(ग) पुस्तकों तथा लेखन–सामग्री सम्बन्धी व्यय की वापसी।

(घ) शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली बसों के सम्बन्ध में बस का किराया देने से मुक्ति।
(ड.) बस अथवा रेल का मासिक पास के सम्बन्ध में वास्तविक किराये की वापसी।

प्राधिकार – उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या–ई/4156–15–14 डब्ल्यू 6–1973 दिनांक 06 मार्च 1973.

15– पुस्तक सम्बन्धी सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्ष सेना के सेवारत कामिकों ऐसे सैनिकों जो युद्ध में मारे गये हों अथवा जो लापता घोषित हुये हो या जिनकों मृत मान लिया गया हो, और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो निराश्रित हो गये हो अथवा जिनकी मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों/पत्नियों के लिए पुस्तक सम्बन्धी निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है :–
प्रक्रम कितनी पुस्तकें क्रयार्थ सहायता

क्रय करने की की दर :–

कक्षा एक से पाँच तक 3,000 75/– रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा छह से आठ तक 2,000 80/– रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा नौ तथा दस 1,000 90/– रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा ग्यारह तथा बारह 500 100/– रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष

टिप्पणी उपरोक्त पैरा 1 आरै 2 में दी गई सुविधाएं रक्षा सेवा कार्मिक के निवास स्थान का विचार किये बिना उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर रहे रक्षा सेवा कार्मिकों (सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों) के बालकों तथा पत्नियों पर लागू होती है ।

प्राधिकार शासनादेश संख्या–227/15(4) डब्ल्यू/82 दिनांक 4 फरवरी 1982

16– 1971 के भारत पाक युद्ध मारे गये अथवा विकलांग हुये सैनिकों के बालकों को निम्नलिखित अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी रियायतें स्वीकृत की है । ये रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्राइमरी कक्षा स लेकर डिग्री कक्षाओं तक अध्ययनरत बालकों को ग्राहय् हैं ।

(क) शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा सभी अन्य शुल्क दिये जाने से मुक्ति

(ख) आवासिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों मं अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में कुल छात्रावास शुल्क दिये जाने से मुक्ति ।

(ग) पुस्तकों तथा लेखन–सामग्री सम्बन्धी व्यय की वापसी ।

(घ) शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली बसों के सम्बन्ध में बस का किराया देने से मुक्ति ।

(च) बस अथवा रेल का मासिक यात्रा पत्रों (पासों) के सम्बन्ध में वास्तविक किराये की वापसी ।

प्राधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या–ई/4167–15–14 डब्ल्यू–6–1973 दिनांक

06 मार्च 1973.

17– उत्तर प्रदेश के रक्षा सेवा के कार्मिकों, जिन्हें वीर चक्र की श्रेणी का अलंकरण प्रदान किया गया हो, बालकों को प्राइमरी स्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी :–

(क) बस के किराये सहित सभी प्रकार के शुल्क दिये जाने से छूट
(ख) स्कूल के समवेस (यूनीफार्म) के व्यय करने से छूट
(ग) निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार छात्रावास शुल्क
जे0सी0ओ0 (जूनियर कमीशण्ड आफिसर) दस रूपये प्रति माह
एन सी ओ (नान कमीशण्ड आफिसर) सात रूपये प्रति मास
अन्य पदाधिकारी पॉच रूपये प्रति मास
एन सी ई (नान कम्बाटेंटस् इनरोल्ड) तीन रूपये प्रति मास

प्राधिकार शासनादेश संख्य्या–ई/2292/15(14)/डब्ल्यू 8/1971 दिनांक 17 जनवरी 1972.

टिप्पणी ऐसे बालक जो पैरा–3 और और 4 के अधीन सुविधायें प्राप्त करने के पात्र है उन्हें सुविधायें अतिरिक्त रूप में नही दी जायेंगी ।

18. उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर रोड पर रमणीय वातावरण में स्थित है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला एक आवासिक पब्लिक स्कूल है जो भारतीय विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा परिषद (काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन) नई दिल्ली से सम्बद्ध है । यह परिषद ् उत्तर प्रदेश के चयन किये छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा (नेशनल डिफेन्स) अकादमी द्वारा प्रतिरक्षा बल के अधिकारी संवर्ग को जीविका के लिए, अत्यधिक राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप सहायतार्थ सैनिकोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करती है ।इस स्कूल में प्रवेश राज्य के कई स्थानों में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम में किया जाता है । इस स्कूल में 10 1/2 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के कक्षा छह उत्तीर्ण लड़कों को प्रवेश दिया जाता है।

19. प्रधानमत्रं ी छात्रवृत्ति योजना

उददेश्य :– प्राविधिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित किये जाने के उददे्श्य से युद्व शहीद विधवा/भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रधानमंत्री स्कालरशिप योजना के नाम से वर्ष 2006–2007 के शैक्षिक सत्र से योजना का शुभारम्भ किया गया है ।

अर्ह पात्र

भूतपूर्व सैनिक(जो कि अधिकारी रैंक से नीचे हो) के आश्रित तथा उनकी विधवायें ।
सैन्य सेवा में विभिन्न गतिविधियों के दौरान मारे गये युद्ध शहीद के आश्रित/विधवायें ।
सैन्य सेवा की दौरान वीर गति को प्राप्त हुये सैनिकों की विधवायें ।
यह योजना भूतपूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं तथा अविवाहित आश्रितों के लिये शुरू की गई है ।
स्कालरशिप हेतेतु अर्ह कोसेर्स मेडिकल, इन्जीनियरिंग दंत चिकित्सा पशु चिकित्सा, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, फार्मा, नर्सिग इत्यादि प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा हेतु जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे कि All India council for Techonology Education/Medical Council etc. के अन्तर्गत अर्ह पात्रों को प्रधानमंत्री स्कालरशिप योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाये जायेंगे ।

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006 एवं तत्पश्चात ् के अर्ह पात्र ही एडमिशन हेतु प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे ।

शैक्षिक योग्यता :– इंटरमीडियेट परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यार्थी ही योजना के अन्तगर्त लाभान्वित होंगे ।

स्कालरशिप प्राप्त करने की अवधि :– प्रशिक्षण संस्था द्वारा संस्तुति के अनसुार 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिये स्कालरशिप प्राप्त होंगे ।

स्कालरशिप राशि :– रूपये 2000/– प्रतिमाह प्रति छात्र हेतु (एक मुश्त वर्ष में)

रूपये 1500/– प्रतिमाह प्रति छात्रा हेतु । –तदैव –2250/– प्रतिमाह

स्कालरशिप योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी को धनराशि तभी स्वीकृत की जायेगी जब प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र समाप्त होने के उपरान्त प्रशिक्षार्थी अच्छे प्राप्तांकों से सत्र उत्तीर्ण करेगें ।

20. सेना में भर्ती – नयी प्रणाली

1.. भर्ती त्रैमासिक आधार पर होगी ।
2. आवेदन प्रथा समाप्त ।
3. भर्ती सिर्फ रैली के माध्यम से होगी ।
4. अभ्यर्थी पहली बार में ही भर्ती दल से सीधे संपर्क कर सकेगा ।
5. अभ्यर्थियों को बार–बार केन्द्रों के चक्कर नही काटने पड़ेगे ।
6. नई प्रणाली खुली, पारदर्शी, पूरी तरह निष्पक्ष तथा अभ्यर्थियों के अधिक अनकूल ।
7. जिस राज्य में रैली आयोजित होगी, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भर्ती के काम में शामिल नही होंगे
8. लिखित परीक्षा सहित भर्ती की पूरी प्रक्रिया रैली स्थल पर ही पूरी की जायेगी ।
9. संबंधित रैली स्थलों पर लिखित परीक्षा हर माह के अंतिम रविवार को पूरे देश में एक साथ आयोजित होगी ।

21 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0)

सेवामुक्त पूर्व सैनिकों को अन्य सेवामुक्त केन्द्र/राज्य कर्मचारियों की भांति सेवा उपरान्त सस्ती/सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आधीन ई0सी0एच0एस0 की योजना प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश में 47 ई0सी0एच0एस0 पॉलिक्लीनिक स्थापित है ।

उक्त येाजना के अन्तर्गत पात्र सभी भूतपूर्व सैनिक केवल सेना चिकित्सालयों में ही मुफ्त सेवाका लाभ प्राप्त नहीं करेंगें ,यह सभी पूर्व सैनिक राज्य के चिकित्सा प्रतिष्ठानों /प्राइवेट अस्पताल(Enpanelled Hospital)आदि में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेगें जिन्हे ई0सी0एच0एस0 के नियंत्रणाधीन अधिकृत किया गया है ।

चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु अर्हता

(क) वे पूर्व सैनिक जो सेना की सेवा पेंशन/विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।
(ख) वे विधवाएं जो सैनिक की पेंशन प्राप्त कर रही है।
(ग) वे सैनिक पुत्र जिनकी आयु 25 वर्ष से कम के हों

(घ) वे सैनिक पुत्रियॉ जो आविवाहित/विधवा/तलाकशुदा हों
(ड़) विकलांग सैनिक सन्तान सम्पूर्ण जीवनकाल तक
(च) सैनिक माता–पिता जिनकी वार्षिक आय रू0 30,600/–(रू0 2250/– प्रतिमाह) से कम हो

22. जिला स्तर पर कार्यवाही के लिये आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यप्रणाली पहचान पत्र बनवाने के लियेः–

पूर्व सैनिकः–

- डिस्चार्ज बुक/रिकार्ड ऑफ सर्विस की मूल एवं छायाप्रति
- पीपीओ की मूल एवं छायाप्रति
- चार सिंगल फोटो और दो ज्वाइंट फोटो

वीर नारी/ दिवंगत सैनिक की पत्नियों के लिये :–

- डिस्चार्ज बुक/रिकार्ड आफॅ सर्विस की मूल एवं छायाप्रति
- पीपीओ की मूल एवं छायाप्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल एवं छायाप्रति
- बैंक पास बुक की छायाप्रति
- पांच फोटो
- दिवंगत सैनिक का जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी पहचान पत्र–मूल रूप मे डिस्चार्ज बुक/रिकार्ड आफॅ सर्विस में पत्नी का नाम न होने की स्थिति में अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी पारिवारिक विवरण/पार्ट टू आर्डर

डुप्लीकेट पहचानपत्र बनवाने के लिये :–

- प्रार्थना पत्र
- प्रथम प्राथमिकी(पुलिस)सूचना
- फाइनल रिपोर्ट
- दो फोटोग्राफ
- प्रथम बार शुल्क रू. 100/–दूसरी बार रू. 200/– तीसरी बार रू. 300/– एवं पांच वर्ष बाद निःशुल्क

अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण हेतुः–

- अनापत्ति प्रमाण पत्र
- प्रार्थना पत्र
- डिस्चार्ज बुक
- पीपीओ
- निवास प्रमाण पत्र– जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी (अपना–बिजली का बिल/निर्वाचन कार्ड
- पता बदली के लिये डिक्लरेशन फार्म

डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक मंगवाने के लिये

- प्रार्थना पत्र

- खो जाने की स्थिति में पुलिस प्राथमिकी
- शपथ पत्र –10 रू0 के स्टैम्प पेपर पर
- दो ज्वाइन्ट व दो सिंगल फोटोग्राफ

सर्विस पार्टीकुलर्स के लिये

- प्रार्थना पत्र
- खो जाने की स्थिति में पुलिस प्राथमिकी(एफआईआर)
- शपथ पत्र–दस रू0 के स्टैम्प पर
- दो सिंगल फोटोग्राफ एवं दो ज्वाइंट फोटोग्राफ
- पत्नी अथवा पूर्व सैनिक की मृत्यु उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति

पार्ट–टू–आर्डर के लियेः–

- प्रार्थना पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र–नगर निगम/ग्राम प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
- शपथ पत्र–प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- स्कूल सर्टीफिकेट

पार्ट–टू–आर्डर में नाम इत्यादि परिवर्तन की स्थिति मेंः–

- प्रार्थना पत्र
- स्कूल एवं नगर निगम द्वारा जारी जन्म–तिथि प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र–प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- दो अलग–अलग राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना
- पुत्र/पुत्री के मामलों में माता का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिये

पुनर्विवाह का पार्ट–टू–आर्डर कराये जाने के लियेः–

- प्रार्थना पत्र
- पहली पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकनामा
- दूसरी पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र–सभासद/ग्राम प्रधान द्वारा जारी
- विवाह प्रमाण पत्र–रजिस्टार द्वारा जारी
- शपथ पत्र–प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

पारिवारिक/तलाकशुदा पुत्रियों के पेंशन हेतुः–

- डिस्चार्जबुक, पीपीओ, पहचान पत्र की छायाप्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र–पूर्व सैनिक/माता–पिता
  परिवार रजिस्टर की नकल–जिसमें पुत्री के नाम के आगे
  विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा लिखा हो।
- पार्ट–टू–आर्डर या डिस्चार्ज बुक में नाम हो।
- रिकार्ड से जारी रिलेषन सर्टीफिकेट/सम्बन्ध प्रमाण पत्र
- अविवाहित/तलाकशुदा का ग्राम प्रधान/सभासद से प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा हेतु कोर्ट से ''डिग्री ऑफ डाईवोर्स'' तलाक की सत्यापित प्रति
- तहसील से आय प्रमाण पत्र

- अविवाहित/बेरोजगार/तलाकशुदा के संबंध में शपथ पत्र
- उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रार्थना पत्र पेंशन हेतु।

आश्रित प्रमाण पत्रः–

- प्रार्थना पत्र
- डिस्चार्जबुक/रिकार्ड आफॅ सर्विस
- पहचान पत्र
- एक–एक फोटो आश्रित पुत्र/पुत्री तथा पूर्व सैनिक/वीर नारी
- स्कूल सर्टीफिकेट
- पारिवारिक विवरण/पार्ट–टू–आर्डर–अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी

राज्यपाल उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय दिवंगत सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक अनुदान के लियेः–

- प्रार्थना पत्र/निधि द्वारा जारी आवेदन का प्रारूप
- वर/कन्या पक्ष का शादी का कार्ड
  वर/कन्या की जन्मतिथि प्रमाण पत्र–हाईस्कूल सर्टीफिकेट/ग्रामप्रधान द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ।
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
- पीपीओ की छायाप्रति
- पहचान पत्र की छाया प्रति–जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी
- बैंक पास बुक की छायाप्रति

राज्यपाल उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिक की आश्रितों को छात्रवृत्ति के लियेः–

- आवेदन पत्र–निधि द्वारा जारी
- मार्कशीट की छायाप्रति
- बैंक पास बुक की छायाप्रति

राज्यपाल उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिक की पत्नियों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण पर छूट

- आवेदन पत्र–निधि द्वारा जारी
- डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
- पहचान पत्र की छाया प्रति–जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी
- बैंक पास बुक की छायाप्रति– IFSC Code, MICR Code सहित
- पुर्नसेवायोजन प्रमाण पत्र
- ऋण उपभोग प्रमाण पत्र
- बैंक द्वारा जारी छः माह का बैक का विवरण ।

अशोक चक्र श्रृंखला/शौर्य चक्र श्रृंखला के पदक विजेताओं के लियेः–

- प्रार्थना पत्र
- साइटेशन की छायाप्रति

- गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक की छायाप्रति IFSC Code, MICR Code सहित
- आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी स्तर से सामान्य प्रशासन अनुभाग उ0प्र0शासन को प्रेषित किया जाये। उ0प्र0शासन से स्वीकृति के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है।

संख्या– 09 सी0एम0/48–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश ।

सैनिक कल्याण अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय: सैनिक एवं उनके परिवारजनों की शिकायतों/समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्व रूप से निराकरण कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या–1244/48–2008–96(विविध)/91 टी0सी0 दिनांक 20.09.2008 एवं शासनादेश संख्या–1224/48–2008–96(विविध)/91 टी0सी0–।। दिनांक 17.09.2008 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **"जिला सैनिक बन्धु"** का गठन एवं लोकवाणी योजना द्वारा सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– विभिन्न प्रकरणों में जवानों के द्वारा अपने गृह स्थान पर होने वाली कठिनाईयों के संबंध में **"जिला सैनिक बन्धु"** की बैठकों में जनपदीय अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही न करने पर वह अपने अल्प अवकाश की अवधि में अनेक घरेलू समस्याओं जैस–सम्पत्ति, भूमि विवाद तथा असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न की जा रही छोटी–छोटी समस्याओं को भी नही सुलझा पाते हैं, जिससे उत्पन्न मानसिक अशान्ति सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करती है।

3– जिला सैनिक बन्धु का गठन /लोकवाणी योजना का प्रारम्भ भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों की समस्याओं का सुनियोजित एवं समयबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु किया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिकों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है और सैनिक बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नही की जा रही है जिससे भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण समय से नही हो पा रहा है । यह स्थिति राष्ट्र हित में उचित नही है ।

4– अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक माह सैनिक बन्धु की बैठक नियमित रूप से कराते हुये सेवारत एवं पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का समयबद्व रूप से निस्तारण कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकःयथोक्त ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

31.3.15

23. जिला सैनिक बन्धु का गठन

सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0:–1244/48–2008–96(विविध)/91 टी.सी. –11 दिनांक 20 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत जिले स्तर पर सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक समुचित कार्यवाही के लिये जिला सैनिक बन्धु के गठन हेतु आदेश जारी किया गया, जिसमें जिला प्रशासन इस दिशा में निरन्तर सजगता बरतते हुए सैनिकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करेगी ।

जिला सैनिक बन्धु का उद्देश्य व सदस्य :–

उद्देश्यः– भूतपूर्व /सेवारत सैनिकों की समस्याओं का एकल स्थान पर सुनियोजित व समयबद्ध निराकरण कराना ।

अध्यक्ष – जिलाधिकारी

उपाध्यक्ष– वरिष्ठ अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित पूर्व सैनिक अधिकारी

सदस्य :–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
2. मुख्य विकास अधिकारी
3. अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
4. मुख्य चिकित्साधिकारी
5. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/नगर निकाय अधिशाषी अधिकारी
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
8. कोषाधिकारी
9. जिला लीड बैंक मैनेजर
10. एन.सी.सी. कमाण्डिंग आफिसर
11. जिला सेवायोजन अधिकारी

गैर सरकारी सदस्य

प्रत्येक विकास खण्ड से एक पूर्व सैनिक(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

सदस्य सचिव – जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी

जिला सैनिक बन्धु की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को की जायेगी, जिसमें भूतपूर्व/सेवारत सैनिकों की निम्नवत् समस्याओं को यथासम्भव निराकरण किया जाय :–

1. भूमि विवाद संबंधी समस्या
2. पुलिस सुरक्षा संबंधी समस्या
3. बैंक से ऋण संबंधी समस्या
4. पेंशन संबंधी समस्या
5. शिक्षा संबंधी समस्या
6. चिकित्सा संबंधी समस्या
7. आर्थिक अनुदान संबंधी समस्या
8. सैनिकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों का निराकण

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त जिला सैनिक बन्धु में भूतपूर्व सैनिक/सेवारत सैनिक परिवारों से प्राप्त समस्याओं को कम्प्यूटरीकृत कर ''**तहसील–दिवस**'' प्रणाली पर अनुश्रवित किया जायेगा तथा समयबद्ध निस्तारण किया जायेगा । इस हेतु प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति, रख–रखाव एवं निस्तारण संबंधी विवरणों को एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा । जिसमें प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक/प्रार्थना पत्र देने वाले का पूर्ण विवरण, प्रार्थना पत्र का विषय, निराकरण हेतु भेजे गये अधिकारी/विभाग का विवरण ,निस्तारण की अवधि का उल्लेख/ कृत कार्यवाही हेतु अपेक्षित

रिर्पोट का दिनांक तथा कृत कार्यवाही का विवरण, अभ्युक्ति आदि कॉलम्स अंकित किये जायेंगे । यथा आवश्यक ''**लोकवाणी**'' पद्वति का उपयोग भी शिकायतों/समस्याओं के निदानार्थ किया जायेगा । तद्नुसार निर्देशित किया जाता है कि भूतपूर्व /सेवारत सैनिकों की समस्याओं का **सर्वोच्च वरीयता एवं प्राथमिकता** पर निदान सुनिश्चित किया जाय।

¼izkf/kdkj 'kklukns'k संख्या 1244/48–2008–96(विविध)/91 टी.सी.–11 दिनांक 20 सितम्बर 2008½